भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1577
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2024

सैटेलाइट स्पेक्ट्रम

1577. कैप्टन विरयाटो फर्नांडीस:

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को नीलामी करने के बजाय प्रशासनिक साधनों के माध्यम से आवंटित करने के सरकार के निर्णय का उद्देश्य स्टारलिंक के भारतीय बाजार में प्रवेश को सुकर बनाना है;
(ख) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि स्टारलिंक और इसके व्युत्पन्न स्टारशीफड का उपयोग नॉन स्टेट एक्टर अथवा शत्रु राष्ट्रों द्वारा भारत के विरुद्ध न किया जाए; और
(ग) सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की नीलामी न करने के परिणामस्वरूप कितना राजस्व घाटा होने का अनुमान है?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) जी नहीं। दूरसंचार अधिनियम, 2023 अधिनियम की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध सैटेलाइट-आधारित सेवाओं के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया के माध्यम से स्पेक्ट्रम के आवंटन का प्रावधान करता है।

(ख) दूरसंचार विभाग (डीओटी) सैटेलाइट- आधारित वाणिज्यिक संचार सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए एकीकृत लाइसेंस (यूएल) के तहत प्राधिकार प्रदान करता है। किसी आवेदक को सैटेलाइट- आधारित संचार लाइसेंस स्वीकृति तथा भारत की सुरक्षा संबंधी शर्तों सहित लागू लाइसेंसिंग निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अध्यधीन दिए जाते हैं।

(ग) प्रशासनिक रूप से आवंटित स्पेक्ट्रम पर भी प्रभार लगाया जाता है और इसलिए राजस्व में योगदान करता है। दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने स्थलीय पहुंच सेवाओं के साथ समान अवसर के उत्तरदायित्व के साथ सैटेलाइट- आधारित संचार सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक लाइसेंसधारियों के संबंध में स्पेक्ट्रम मूल्य निर्धारण सहित स्पेक्ट्रम आवंटन के निबंधनों और शर्तों के संबंध में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) से सिफारिशें मांगी हैं।

*****